पुनरीक्षण अपराधिक

न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह गुजराल के समक्ष

जीत राम, आदि,— याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य , - *उत्तरदाता।*

1970 का आपराधिक संशोधन संख्या 743

7 जनवरी, 1971

*दंड प्रक्रिया संहिता (*1898 का V) - धारा 526 (1) (ii) और *धारा* 528 (*1 ए)* और *(आईसी)* - अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश- सत्र न्यायाधीश की अदालत में लंबित सत्र मामला - क्या मामला वापस लेने का अधिकार है - एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत से दूसरे में मामले का स्थानांतरण - क्या एक आपराधिक *अदालत से दूसरे में स्थानांतरित करना - सत्र न्यायाधीश के न्यायालय - क्या एक आपराधिक न्यायालय - एक आपराधिक न्यायालय - एक आपराधिक न्यायालय - मामले को निर्णय के लिए परिपक्व माना जाता है - क्या मामले के साथ आगे बढ़ने के लिए न्यायाधीश की अनिच्छा के बावजूद न्याय के अंत के लिए समीचीन है।*

यह माना गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 528 की उप-धाराएं (1 ए) और (आईसी) विभिन्न स्थितियों से संबंधित हैं क्योंकि उनकी आवश्यकताएं अलग-अलग हैं। धारा 528 की उप-धारा (1ए) के तहत, सत्र न्यायाधीश किसी भी मामले या अपील को वापस ले सकता है, भले ही वह किसी भी पक्ष द्वारा कोई आवेदन न हो और मामले को वापस लेने के लिए न्याय के अंत में समीचीन हो। दूसरे शब्दों में, धारा 528 की उप-धारा (1 ए) के तहत मामला वापस लेने के लिए सत्र न्यायाधीश द्वारा विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कारणों को सेवा में रखा जा सकता है, बशर्ते मामले में मुकदमा शुरू न हुआ हो। दूसरी ओर, धारा 528 की उप-धारा (आईसी) के तहत, एक सत्र **न्यायाधीश कर सकता है।** केवल इस संबंध में उसे दिए गए आवेदन पर कार्रवाई करें और अन्यथा नहीं। इसके अलावा, उप-धारा (आईसी) के तहत स्थानांतरण का आदेश केवल तभी दिया जा सकता है जब यह मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्याय के अंत के लिए समीचीन हो, न कि केवल प्रशासनिक कारणों से। उप-धारा (1 ए) के तहत मौजूदा सीमा है कि हस्तांतरण का आदेश केवल ट्रायल शुरू होने या अपील की सुनवाई से पहले ही दिया जा सकता है, उप-धारा (आईसी) में लागू नहीं है। उप-धारा (आईसी) को सत्र प्रभाग में किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित मामले को स्थानांतरित करने के लिए सत्र न्यायाधीशों पर लगाई गई सीमा को हटाने के लिए पेश किया गया है और यदि यह न्याय के अंत के लिए समीचीन प्रतीत होता है और यदि कोई पक्ष इस आशय का आवेदन करता है तो उसके पास ऐसा करने का अधिकार क्षेत्र है।

(पैरा 5 और 7)

यह माना गया कि सत्र न्यायालय एक न्यायालय नहीं है और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत से सत्र न्यायाधीश या किसी अन्य अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में एक मामले **का स्थानांतरण एक** आपराधिक न्यायालय से दूसरे आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित करने के समान है। यदि ऐसा नहीं होता, तो उच्च न्यायालय को भी धारा 526 (i) (ii) के तहत सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत से किसी मामले को स्थानांतरित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जो उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ आपराधिक न्यायालय से समान या उच्च अधिकार क्षेत्र के किसी अन्य ऐसे न्यायालय में मामले या अपील को स्थानांतरित

करने की शक्ति देता है।

हालांकि संहिता की धारा 528 उस सीमा को निर्धारित नहीं करती है जिसके भीतर स्थानांतरण आवेदन की अनुमति दी जाती है, लेकिन आमतौर पर किसी मामले को स्थानांतरित करने के लिए न्याय के अंत के लिए अनुचित माना जाता है जब यह निर्णय के लिए परिपक्व होता है जब तक कि मजबूत कारण न हों। तथ्य यह है कि एक मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश खुद मामले के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, इसे अपने न्यायालय से मामला वापस लेने का एक अच्छा कारण नहीं माना गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439/561-ए के तहत न्यायालय के आदेश में संशोधन के लिए याचिका। सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव ने दिनांक 14 अगस्त, 1970 *को श्री पीआर अग्रवाल की अदालत से मामले को वापस लेने और इसे अपने न्यायालय की फाइल पर लेने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत इस मामले को गुड़गांव के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में नहीं भेजा जा सकता है।*

हरप्रसाद और एन.के. सोढ़ी, याचिकाकर्ताओं के वकील।

प्रतिवादी की ओर से हरियाणा के सहायक महाधिवक्ता हरि मित्तल

निर्णय

यह पुनरीक्षण याचिका सत्र न्यायाधीश के 14 अगस्त 1970 के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके तहत उन्होंने गुड़गांव के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री पीआर अग्रवाल की अदालत में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लंबित मामले को अपनी फाइल में वापस ले लिया था।

2.इस आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक तथ्य यह हैं कि पांच याचिकाकर्ताओं पर गुड़गांव के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री अग्रवाल की अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 आदि के तहत एक मामले में मुकदमा चलाया जा रहा था और इस मामले में पूरे सबूत दर्ज किए गए थे और मामले को 29 जुलाई1970 को बहस के लिए निर्धारित किया गया था।जब दलीलों को संबोधित किया जा रहा था, शिकायतकर्ता ने इस आधार पर स्थगन के लिए एक आवेदन दिया कि वह मामले के हस्तांतरण के लिए उच्च न्यायालय जाना चाहता है। इस आवेदन पर कार्यवाही 13 अगस्त, 1970 तक स्थगित कर दी गई थी, मामले को स्थगित करने के बाद श्री अग्रवाल ने सत्र न्यायाधीश को एक गोपनीय पत्र लिखकर अनुरोध किया कि इस मामले को उनके न्यायालय से स्थानांतरित कर दिया जाए। इस पत्र को प्राप्त करने पर पक्षकारों के वकील को विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा भेजा गया था और स्थानांतरण के लिए इस अनुरोध के बारे में सूचित किया गया था। इसके बाद आरोपी के वकील ने तबादले का विरोध करते हुए एक आवेदन दिया। इसके बाद, नूर मोहम्मद शिकायतकर्ता ने मामले को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया और याचिका में विभिन्न आरोप लगाए ताकि यह दिखाया जा सके कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिकायतकर्ता के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। इस आवेदन पर विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश पारित किया

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत से मामले को वापस लेने का आदेश उनकी खुद की फाइल में। व्यथित होने के कारण अभियुक्त इस न्यायालय में संशोधन के लिए आए हैं।

3.याचिकाकर्ताओं की ओर से सबसे पहले यह तर्क दिया गया था कि सत्र न्यायाधीश के पास साक्ष्य दर्ज होने के बाद मामले को स्थानांतरित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और जब केवल तर्कों को संबोधित किया जाना था।

4.याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की दलीलों की सराहना करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 526 की उप-धारा (1) और (1 ए) और धारा 528 की उप-धाराओं (1 ए) और (1 सी) का संदर्भ देना होगा। संगत प्रावधान निम्नानुसार हैं -

"526. (1) जब भी, इसे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है-

1. उसके अधीनस्थ किसी भी आपराधिक न्यायालय में निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच या विचारण नहीं किया जा सकता है, या
2. कि असामान्य कठिनाई के कानून का कुछ सवाल उठने की संभावना है, या
3. कि उस स्थान की संतोषजनक जांच या परीक्षण के लिए उस स्थान का एक दृश्य आवश्यक हो सकता है जहां या उसके आस-पास कोई अपराध किया गया है, या
4. कि इस धारा के तहत एक आदेश पार्टियों या गवाहों की सामान्य सुविधा के लिए होगा, या
5. कि ऐसा आदेश न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है, या इस संहिता के किसी भी प्रावधान द्वारा आवश्यक है,

यह आदेश दे सकता है -

i. कि किसी भी अपराध की जांच या मुकदमा किसी भी न्यायालय द्वारा किया जाए जो धारा 177 से 184 (दोनों समावेशी) के तहत सशक्त नहीं है, लेकिन अन्य मामलों में ऐसे अपराध की जांच या मुकदमा चलाने के लिए सक्षम है;

, ii. कि किसी विशेष मामले या अपील, या मामलों या अपीलों का वर्ग, अपने अधिकार के अधीनस्थ आपराधिक न्यायालय से समान या उच्च अधिकार क्षेत्र वाले किसी अन्य ऐसे आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित किया जाएगा;

iii.कि किसी विशेष मामले या अपील को स्वयं के समक्ष स्थानांतरित किया जाए और मुकदमा चलाया जाए; नहीं तो

iv.कि एक अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं या सत्र न्यायालय में मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किया जाए।

(1ए) उप-धारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, उसी सत्र डिवीजन में किसी भी मामले को एक आपराधिक न्यायालय से दूसरे आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए उक्त उप-धारा के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए उच्च न्यायालय में कोई आवेदन नहीं होगा, जब तक कि इस तरह के

स्थानांतरण के लिए एक आवेदन सत्र न्यायाधीश को नहीं किया गया है और उसके द्वारा खारिज कर दिया गया है।

"528. (1ए) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष मामले की सुनवाई या अपील की सुनवाई शुरू होने से पहले किसी भी समय, कोई भी सत्र न्यायाधीश किसी भी मामले या अपील को वापस ले सकता है जिसे उसने किसी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को सौंपा है।

(1ग) कोई भी सत्र न्यायाधीश, इस निमित्त उसे दिए गए आवेदन पर, यदि उसकी राय है कि यह किसके लिए समीचीन है? न्याय के अंत में, आदेश है कि किसी भी विशेष मामले को एक ही सत्र डिवीजन में एक आपराधिक न्यायालय से दूसरे आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री हर प्रसाद एडवोकेट द्वारा दिया गया तर्क यह है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत से मामला वापस लेने की सत्र न्यायाधीश की शक्तियां उप-धारा (1 ए) द्वारा शासित होती हैं, न कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 528 की उप-धारा (1 सी) द्वारा। इस तर्क के समर्थन में दो आधारों का आग्रह किया गया है, अर्थात् ^ उप-धारा (1ए), सत्र न्यायाधीश द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत से मामलों को वापस लेने से संबंधित एक विशिष्ट प्रावधान होने के नाते, सत्र न्यायाधीश की शक्तियों के संबंध में उप-धारा (1 सी) में निहित सामान्य प्रावधानों को वरीयता में लागू होगा। न्यायालय एक आपराधिक न्यायालय होने के नाते किसी मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश से सत्र न्यायाधीश में स्थानांतरित करने का अर्थ किसी मामले को एक आपराधिक न्यायालय से दूसरे आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित करना नहीं होगा। तर्क के दूसरे भाग के लिए कमलेश्वर सिंह *बनाम* भारत मामले में पूर्ण पीठ के फैसले से समर्थन मांगा गया था *।धर्मदेव सिंह* (1), जिसमें यह देखा गया कि एक अतिरिक्त या सहायक सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली अदालत भी सत्र न्यायालय है। *कानूनी मामलों के अधीक्षक और स्मरणकर्ता, बंगाल बनाम बंगाल को भी संदर्भ दिया गया* था। *उज्जाउल्ला पाइकर* (2), जिसमें यह देखा गया कि प्रत्येक सत्र प्रभाग में केवल एक सत्र न्यायालय है जो विभिन्न स्थानों पर बैठा है और कई न्यायाधीशों द्वारा संचालित है। इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यह तर्क दिया गया था कि सत्र न्यायालय एक न्यायालय होने के बावजूद, भले ही यह अलग-अलग न्यायाधीशों द्वारा संचालित था, एक सत्र न्यायाधीश धारा 528 की उप-धारा (1 ए) में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर किसी मामले को अतिरिक्त या सहायक सत्र न्यायाधीश की अदालत से अपनी अदालत या किसी अन्य अतिरिक्त या सहायक सत्र न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित नहीं कर सकता था। वकील का कहना है कि अतिरिक्त या सहायक सत्र न्यायाधीश की अदालत से सत्र न्यायाधीश या किसी अन्य अतिरिक्त या सहायक सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में किसी मामले का स्थानांतरण धारा 528 की धारा (1 सी) के अर्थ के भीतर एक आपराधिक अदालत से दूसरे आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। उपरोक्त तर्क, हालांकि वे आकर्षक दिखाई देते हैं, बहुत अधिक योग्यता के बिना हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 528 की उप-धाराएं (1 ए) और (1 सी) विभिन्न स्थितियों से संबंधित हैं क्योंकि उनकी आवश्यकताएं अलग-अलग हैं। धारा 528 की उप-धारा (1ए) के तहत, सत्र न्यायाधीश किसी भी मामले या अपील को वापस ले सकता है, भले ही किसी भी पक्ष द्वारा कोई

आवेदन न किया गया हो और मामले को वापस लेने के लिए न्याय के अंत में समीचीन न हो। दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित मामले में प्रदान की गई धारा 528 की उप-धारा (1 ए) के तहत आसानी को वापस लेने के लिए सत्र न्यायाधीश द्वारा विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कारणों को सेवा में रखा जा सकता है। दूसरी ओर, धारा 528 की उप-धारा (1 सी) के तहत एक सत्र न्यायाधीश केवल इस संबंध में किए गए आवेदन पर कार्रवाई कर सकता है, अन्यथा नहीं। इस दृष्टिकोण के लिए मुझे *आर. के. नबेहंद्रा सिंह* बनाम *भारत से समर्थन प्राप्त है।मणिपुर प्रशासन* (3), जिसमें यह माना गया था कि एक सत्र न्यायाधीश धारा 528 (1 सी) के तहत मामले को *स्वत: स्थानांतरित* नहीं कर सकता है । इसके अलावा, उप-धारा (1 सी) के तहत, स्थानांतरण का आदेश केवल तभी दिया जा सकता है जब यह मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्याय के अंत के लिए समीचीन हो, न कि केवल प्रशासनिक कारणों से। इसके अलावा, उप-धारा (1 ए) के तहत मौजूदा सीमा है कि स्थानांतरण का आदेश केवल ट्रायल शुरू होने या अपील की सुनवाई से पहले ही दिया जा सकता है, उप-धारा (1 सी) में लागू नहीं है। उप-धारा (1 सी) को सत्र डिवीजन में किसी भी आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित मामले को स्थानांतरित करने के लिए सत्र न्यायाधीश की शक्तियों पर लगाई गई सीमा को हटाने के लिए पेश किया गया था, यदि न्याय के अंत के लिए ऐसा करना समीचीन प्रतीत होता है और यदि कोई पक्ष इस आशय का आवेदन करता है।

(1) A.I.R. 1931 Cal. 190.
(2) A.I.R. 1964 Manipur 39. '
(3) A.I.R. 1931 Bom. 313.

1. इस तर्क का दूसरा भाग कि सत्र न्यायालय एक आपराधिक न्यायालय होने के नाते अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत से सत्र न्यायाधीश या किसी अन्य अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में एक मामले को स्थानांतरित करना एक आपराधिक अदालत से दूसरे आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित करने के बराबर नहीं है, भी मेरिट के बिना है और याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए अधिकारी इस मुद्दे पर पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं। इस तर्क से निपटने से पहले, पार्टियों की ओर से उद्धृत अधिकारियों को एक संदर्भ दिया जा सकता है ताकि यह देखा जा सके कि उन मामलों में वास्तव में क्या तय किया गया था। इज्जातुल्ला पाइकर के मामले *(2) (सुप्रा) में* विचार के लिए जो सवाल उठा था, वह यह था कि क्या सत्र न्यायाधीश आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 476 (1) के तहत शिकायत कर सकते हैं, जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि झूठी गवाही के लिए शिकायत क्यों नहीं की जानी चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 और उसमें होने वाली "सत्र न्यायालय" अभिव्यक्ति की व्याख्या करते समय यह माना गया था कि प्रत्येक सत्र प्रभाग में केवल एक सत्र न्यायालय था जो विभिन्न स्थानों पर बैठा था और कई न्यायाधीशों द्वारा संचालित था। संहिता की धारा 9 में होने वाली अभिव्यक्ति "सत्र न्यायालय" की व्याख्या धारा 526 और 528 में "आपराधिक न्यायालय" शब्द के अर्थ को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक नहीं है और इसलिए, यह प्राधिकरण याचिकाकर्ताओं के मामले में बहुत मददगार नहीं है। इसी तरह, *लक्ष्मण चावजी* वी। *सम्राट* (4), इस मामले में कोई सहायता नहीं करता है क्योंकि इस मामले में मुद्दा बॉम्बे मामले में नहीं उठा था। फिर से, *कमलेश्वर सिंह के मामले* (1) (सुप्रा) में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 में होने वाली अभिव्यक्ति "सत्र न्यायालय" व्याख्या के लिए आई थी और संहिता की धारा 9 और 7 (2) में इस अभिव्यक्ति के अर्थ पर विचार करने के बाद यह टिप्पणी की गई थी कि एक सहायक सत्र न्यायाधीश जो सत्र न्यायालय में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, उसका इस अर्थ में कोई अलग या स्वतंत्र इकाई नहीं है कि जिस न्यायालय की वह अध्यक्षता करता है। इस तरह के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय धारा 9 (1) के अर्थ के भीतर एक स्वतंत्र सत्र न्यायालय का गठन नहीं करता है। इस मामले में हमारा सामना जिस प्रश्न से हो रहा है, वह बिल्कुल भी नहीं उठा था और धारा 526 और 528 में होने वाली "आपराधिक अदालत" शब्द का अर्थ ऊपर उल्लिखित पूर्ण पीठ मामले में व्याख्या के लिए नहीं आया था।

6.यह विवादित नहीं है और इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय के पास एक अतिरिक्त से मामले को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं।

सत्र न्यायाधीश को एक अन्य अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश - उसी सत्र प्रभाग में न्यायाधीश और यदि धारा 526 का संदर्भ दिया जाता है तो यह देखा जाएगा कि यह शक्ति धारा 526 की उप-धारा (1) से प्राप्त होती है, विशेष रूप से खंड (ii), जो उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ आपराधिक न्यायालय से समान या उच्चतर अधिकार क्षेत्र के किसी अन्य ऐसे न्यायालय में मामले या अपील को स्थानांतरित करने की शक्ति देता है। यदि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री हर प्रसाद द्वारा "आपराधिक न्यायालय" शब्द पर की गई व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यहां तक कि उच्च न्यायालय के पास भी सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत से किसी अन्य अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में मामले को स्थानांतरित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। यह एक और आपराधिक अदालत नहीं होगी। 1955 के अधिनियम 26 द्वारा धारा 526 में उप-धारा (1ए) को शामिल करके जो भी संदेह रह गया था, उसे हटा दिया गया था, जिसमें प्रावधान है कि धारा 526 के तहत किसी भी मामले को एक आपराधिक न्यायालय से दूसरे आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय से संपर्क किया जा सकता है। इससे यह आवश्यक रूप से यह होगा कि यदि किसी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से मामले को स्थानांतरित करने की मांग की जाती है, तो ऐसे मामले के स्थानांतरण के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करने से पहले सत्र न्यायाधीश से संपर्क करना होगा। यह स्पष्ट रूप से धारा 528 (1 सी) के तहत सत्र न्यायाधीश की शक्तियों का संदर्भ है, जिसे उसी संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था।

7.ऊपर दर्ज कारणों के लिए, यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि सत्र न्यायाधीश के पास मुकदमा शुरू होने के बाद भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत से मामला वापस लेने का अधिकार है, बशर्ते धारा 528 की उप-धारा (1 सी) में उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाए। वर्तमान मामले के गुण-दोष पर आते हुए, मैं पाता हूं कि विद्वान सत्र न्यायाधीश के आदेश से यह स्पष्ट नहीं है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत से मामले को वापस लेने में उनका क्या प्रभाव पड़ा था। आदेश में कुछ परिस्थितियों पर ध्यान दिया गया है, लेकिन कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि उन परिस्थितियों में से कौन सी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत से मामले को वापस लेने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त पाई गई थी। इस स्तर पर यह देखा जा सकता है कि धारा 528 की उप-धारा (1 सी) के तहत एक सत्र न्यायाधीश को "आपराधिक अदालत से" एक मामले को वापस लेने का अधिकार है, केवल तभी जब स्थानांतरण न्याय के उद्देश्य से समीचीन हो, न कि अन्यथा। इसलिए, यह देखा जाना चाहिए कि रिकॉर्ड पर लाई गई परिस्थितियां इस तरह के मामले को बनाती हैं या नहीं।

8.सत्र न्यायाधीश द्वारा संदर्भित पहली परिस्थिति यह है कि मामले को 31 जुलाई 1970 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन उसी दिन बाद शिकायतकर्ता के वकील की सहमति के बिना तारीख बदलकर 29 जुलाई, 1970 कर दी गई। सत्र न्यायाधीश के आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि लोक अभियोजक से परामर्श किया गया था और तारीख बदल दी गई थी क्योंकि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को 1 अगस्त 1970 को दौरे पर जाना था। प्रतिवादी के विद्वान वकील यह नहीं दिखा सके कि इस तारीख का त्वरण अदालत की सुविधा के अलावा किसी अन्य विचार से प्रेरित था। इसका फिर से कोई परिणाम नहीं है कि आदेश-पत्र में 31 जुलाई, 1970 को बिल्कुल नहीं दिखाया गया था और केवल यह दिखाया गया था कि मामले को 29 जुलाई, 1970 तक स्थगित कर दिया गया था। यह हो सकता है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने वास्तव में आदेश पत्र में आदेश दर्ज करने से पहले तारीख बदलने के बारे में सोचा हो। ऐसी स्थिति में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह पहले आदेश-पत्र में दर्ज करे कि मामले को 31 जुलाई, 1970 तक स्थगित कर दिया गया

था, और फिर तारीख को 29 जुलाई, 1970 तक बढ़ाने वाला दूसरा आदेश दर्ज किया गया था। किसी भी मामले में, यदि कोई अनौचित्य है, तो वह बहुत मामूली था जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत से मामले को वापस लेने के उद्देश्य से नोटिस नहीं किया जा सकता था।

9.सत्र न्यायाधीश के आदेश में जिस अगली परिस्थिति का उल्लेख किया गया है, वह यह है कि श्री प्रताप सिंह ठाकरान, जो अभियुक्तों के वकील थे, को एक शाम क्लब में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के साथ बैठे देखा गया था, जबकि आम तौर पर श्री ठाकरान क्लब में नहीं जाते थे। सत्र न्यायाधीश के समक्ष अभियुक्त ो के वकील द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यह था कि श्री ठाकरान क्लब में जनरल असिस्टेंट से मिलने गए थे और वह गलती से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश से मिले और उनके साथ कुछ शब्दों का आदान-प्रदान किया। ऐसे में आरोपी के लिए केस का संचालन कर रहे अधिवक्ता की क्लब में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश से कुछ बातें होना शिकायतकर्ता के मन में यह आशंका पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि श्री अग्रवाल की अदालत से उसे न्याय नहीं मिलेगा। यह नहीं पाया गया है, और इस संबंध में भी कोई सुझाव नहीं है कि आरोपी के वकील और विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के बीच इस मामले या उस मामले के लिए किसी अन्य मामले से संबंधित बात हुई हो। अक्सर ऐसा होता है कि न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी सामाजिक और निजी समारोहों में अधिवक्ताओं से मिलते हैं, लेकिन पीठासीन अधिकारियों और अधिवक्ताओं के बीच इस तरह के आकस्मिक संपर्क, जिनके पास उनके न्यायालयों में मामले लंबित हैं, को कभी भी किसी भी पक्ष के मन में यह आशंका पैदा करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना गया है कि पीठासीन अधिकारी उस पक्ष के पक्ष या विपक्ष में रुचि रखते हैं। इसलिए, इस परिस्थिति को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत से मामला वापस लेने के लिए सेवा में नहीं डाला जा सकता है।
10.अंत में, विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष यह दलील दी गई और मेरे समक्ष फिर से तर्क दिया गया कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कुछ आदेश पारित किए थे जो अभियोजन पक्ष के मामले के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण थे। इस स्तर पर आदेशों की वैधता या अन्यथा पर विचार करना न तो आवश्यक है और न ही उचित है, लेकिन यह टिप्पणी करने के लिए पर्याप्त है कि भले ही विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित कुछ आदेश पूरी तरह से सही नहीं थे, लेकिन केवल ऐसे आदेशों को पारित करने से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत से मामला वापस लेने का आधार नहीं बनेगा। तबादले की मांग करने वाले पक्ष के मन में आशंका तर्कसंगत होनी चाहिए, न कि केवल मानसिक। इस तथ्य से कि किसी मामले की सुनवाई करते समय एक न्यायालय किसी मामले के बारे में एक विशेष दृष्टिकोण लेता है, यह उचित रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि न्यायालय उस पक्ष के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त है जिसके हित के खिलाफ वह दृष्टिकोण लिया गया है। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश अपने समक्ष शामिल प्रश्न के दृष्टिकोण को लेने में अन्य विचारों से प्रेरित थे।

11.यह भी देखा जा सकता है कि हालांकि धारा 528 उस सीमा को निर्धारित नहीं करती है जिसके भीतर स्थानांतरण आवेदन की अनुमति दी जाती है, लेकिन आमतौर पर किसी मामले को तब तक स्थानांतरित करना अनुचित माना जाता है जब वह निर्णय के लिए परिपक्व होता है जब तक कि मजबूत कारण न हों। तथ्य यह है कि एक मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश स्वयं मामले के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें अपने न्यायालय से मामले को वापस लेने का एक अच्छा कारण नहीं माना गया है। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि इस स्तर पर श्री पीआर अग्रवाल की अदालत से मामले को वापस लेना न्याय के अंत के लिए समीचीन नहीं होगा क्योंकि इससे मुकदमे में काफी देरी होने और आरोपी को पूर्वाग्रह होने की संभावना है।

12.ऊपर दर्ज कारणों के लिए, मैं इस पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करता हूं और सत्र न्यायाधीश के आदेश को रद्द करता हूं कि मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में वापस भेजा जा सकता है जो कानून के अनुसार इसका फैसला करेंगे।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जोगिंद्र जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हथीन, हरियाणा